फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील जीसीएमएस नंबर 2024/182 बअनवान स्व. अमरा के वारिसान काना बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गोरिया वगैरा

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/9/025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम सांभरवाडा स्थित भूमि के पूर्व गत खसरा नंबर 52, 54, 68, 53, 55, 44 व 92/5 मी. कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में ग्राम पंचायत गोरिया द्वारा बिना किसी जांच के स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 18 में बदा, भीमा व लाला को अमरा के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है जबकि बदा, लाला व भीमा अमरा के पुत्र नहीं होकर पौत्र है। भीमा व बदा के पिता रूपा है एवं लाला के पिता काना है। अमरा के दो पुत्र काना व रूपा है। इस प्रकार बदा, भीमा व लाला तीनों अमरा के पौत्र है। इस तथ्य पर वकील अपीलांट व वकील रेस्पोंडेंट भी सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम सांभरवाडा का विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 18 स्वीकृति दिनांक 20.12.1970 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाली को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट को सुनकर नये सिरे से विधि अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) * सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner